

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

16-10-19

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उषा
वालें कहें पत्रावली दिनांक 21-10-19
को पेश की।

21-10

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उषा
प्रकरण में कहें वकील सुनी जाने से
पूर्व अधिधारी से विन्युक्त जवाब मंगाना
जाना सुनिश्चित उचित है। अतः अधिधारी
से वाद पत्र का विन्युक्त जवाब लब्ध
करने हेतु नहीर आदेश जारी होकर पत्रावली
दिनांक 04/11/2019 को पेश की।

25/11/19


पत्रावली पेश हुई। अधिधारी जज उषा
पर। पत्रावली अन्तर्गत में वाद (मिसल
धर आदेशानुसार दिनांक 25/11/19 को पेश की।

25/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उषा
प्रतिवादी का 25 की अट (दिनांक 25/11/19 पेश हुई।
जो शक्ति/मिसल दिनांक 25/11/19 पत्रावली वाद
अग्रिम अधिधारी हेतु दिनांक 27/11/19 को पेश
पत्रावली पर।

27-11

पत्रावली पेश हुई। वकील कादी उषा
में कहें वकील कादी उषा सुनी गई। वाद
आदेश पत्रावली दिनांक 05/12/2019 को पेश की।

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
5/12/19	<p>पञ्चावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहम वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। करवन्त बहम वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुरोध दावा डिक्ली फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पञ्चावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं जवाब अधिकारी का अवलोकन किया गया एवं बहम वकील वादीगण पर मनन किया गया जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्ली किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पञ्चावली करवाया गया। पञ्चावली फ़ैल शुमार होकर नम्बर से कप्त हो तथा वाद तम्नील दारिखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	
		<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) </p>



डिप्टी मुकदमा इलादाई
(अं. 20 रूत 6-7 जाका दीवानी)

मुकाम खण्डेला

ला अरालत उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला श्री रणजीत सिंह आर.एस.

1. कारूराम
2. कल्याण
3. पांशुराम पुत्रराण नाशुराम पौत्रराण माला पडपौत्रराण मुंशाला समस्त जाति माली निवासी दायास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- (वादीगण)

वनाम

1. वनवासी दत्तक पुत्र सुखाराम पुत्र गोपाल पौत्र देवा
2. जगदीश दत्तक पुत्र माला पुत्र गोपाल पौत्र देवा
3. गोविन्दराम
4. मथुराप्रसाद
5. रामस्वरूप पुत्रराण मांशुराम पौत्रराण गोपाल
6. सुमन देवी
7. मन्जु देवी पुत्रियां मांशुराम पौत्री गोपाल पडपौत्री देवा
8. दाणु देवी पत्नी मांशुराम पुत्रवधु गोपाल
9. नानूराम
10. छोडुराम पुत्रराण किशन पौत्रराण नाथू पडपौत्र इंधा
11. ईश्वर
12. छीगन
13. नौरंग
14. कैलाश
15. लालाराम
16. सुभाष पुत्रराण कजोड पौत्रराण किशन पडपौत्रराण नाथू
17. वसन्ती पत्नी कजोड पुत्रवधु किशन
18. योगेन्द्र
19. पणुराम पुत्रराण भागीरथ पौत्रराण किशन पडपौत्रराण नाथू
20. महेश
21. तेजाराम
22. भरत पुत्रराण बांशुराम पौत्रराण किशन पडपौत्रराण नाथू
- समस्त जाति माली निवासी दायास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
23. पटवारी हत्का दायास
24. उपसंवायक खण्डेला
25. भूमिवासी तहसीलदार खण्डेला

- (प्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

दावा बाबत ईस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा

मु. नं. 160 सन् 2019


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस.

व हाजिरी श्री भजनाराम एड. मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम दायरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) में अवस्थित भूमि ख. नं. 632 ता 635, 640 ता 641 रकबा 1.35 है० में वादीगण के दादा का गलत दर्ज नाम व गलत दर्ज हिस्सा " नरसी पुत्र मंगला हिस्सा 1/5 " के स्थान पर वादीगण के दाद. का सही व वास्तविक नाम एवं सही हिस्सा " माला पुत्र मंगला हिस्सा 1/4 " दुरुस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 के गलत दर्ज हिस्सा " 1/5 " के स्थान पर सही हिस्सा " 1/6 " एवं प्रतिवादी संख्या 2 के गलत दर्ज हिस्सा " 1/5 " के स्थान पर सही हिस्सा " 1/6 " एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के गलत दर्ज हिस्सा " 1/5 " के स्थान पर सही हिस्सा " 1/6 " बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी नं. 9 ता 22 के मृतक नाथू पुत्र झूथा के नाम गलत दर्ज हिस्सा " 1/5 " के स्थान पर सही हिस्सा " 1/4 " दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। निज मुबलिग
..... बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह फीसदी महन्ताना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 सन् 2019 को जारी की गयी।




 5-12-19
 दस्तखत
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान				मीजान	